FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी: मेघजी वगैरह बनाम प्रतिवादी: पालु वगैरह

किस्म मुकदमा—(~~वाद~~ प्रार्थना पत्र) 212 RTA प्रकरण संख्या— 38 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-7-2021	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। ~~वादी~~ प्रार्थी श्री मेघजी पिता रामा जाति भील निवासी बारी सियातलाई जिला बांसवाड़ा द्वारा ~~वाद~~ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध ~~प्रतिवादीगण~~ अप्रार्थीगण श्री मालु पिता स्व. मंगलजी नाथ जाति भील निवासी बारी सियातलाई बांसवाड़ा के पेश किया गया। ~~प्रतिवादीगण~~ अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 25-8-2021 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
25-8-21	पत्रावली पेश। प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामील वापस हुए। सम्मनों को पत्रावली में शामिल किया। प्रतिवादी सं. ① से ⑥ ने श्री राजीव जोशी, नाथालाल चरपोटा के नाम आधिकारिक पत्र पेश किया। जो कुल पत्रावली [illegible] किया। जवाब हेतु समय [illegible] वास्ते जवाब दिनांक 24-9-2021 [illegible] [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:37:59 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.7.22	पत्रावली पेश हुई वादी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 29.8.22 को पेश हो। [illegible]	
29.8.22	पत्रावली पेश हुई बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 19.9.22 को पेश हो। [illegible]	
19.9.22	पत्रावली पेश हुई। आवे०/प्रार्थी उप०। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन कर लिखित अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नियम से बन्द की जाकर [illegible] दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:37:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय : बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा

प्रकरण संख्या– 38/2021 दायर दिनांक–13/07/21

उनवान

1.मेघजी पिता रामा निनामा, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई।
2.उदा पिता रामा निनामा जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई।
3.श्रीमती भुली पत्नी रामा निनामा, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई।
4.शान्तिलाल पिता स्व. रकमा निनामा, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई।
5.श्रीमती चोखली पत्नी स्व. रकमा निनामा, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई

(प्रार्थीगण)

बनाम

1.लालु पिता स्व. मंगला निनामा जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई।
2.हकरु पिता लालु निनामा, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई ।
3.मोहन पिता लालु निनामा, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई।
4.गटु पिता लालु निनामा, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई।
5.रोहित पिता नानु निनामा, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई।
6.श्रीमती ईसु पत्नी हकरु निनामा, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बारी सियातलाई।
7.तहसीलदार, तहसील कार्यालय बांसवाड़ा (राज.)।

(अप्रार्थीगण)

उपस्थिति

1. श्री भालचन्द्र नागर

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–212 आर.टी एक्ट

निर्णय दिनांक:–19.09.2022

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 53,188,109, आर.टी एक्ट में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें सफलता की पूरी संभावना है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 2 के निजी स्वामित्व की संयुक्त खातेदारी आराजियात खाता संख्या 89 नया 55 पुराना के खसरा न[illegible] रकबा 2–15 बीघा, खसरा नम्बर, 77 रकबा 0–14 बीघा खसरा नम्बर 78 रकबा [illegible] खसरा नम्बर 79 रकबा 0–04 बीघा, खसरा नम्बर 80 रकबा 03–1[illegible] बीघा, खसरा नम्बर [illegible]5/76 रकबा 0–14 बीघा, खसरा नम्बर 254/73 रकबा 0–19 बीघा, खसरा नम्बर 272/73 रकबा 00–05 बीघा, खसरा नम्बर 274/73 रकबा 0–17 बीघा कुल किता 09 कुल रकबा [illegible]0 बीघा 08 बिस्वा गांव बारी सियातलाई पटवार हल्का बडवी तहसील बांसवाड़ा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा (5–04 बीघा) व अप्रार्थी है 1 लगायात 2 का 1/2 स्थित (5–04) होकर काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:37:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी संख्या 1 लालु ने वादग्रत आराजियात में से अपने हिस्से की आराजियात अप्रार्थी संख्या 2 को दान कर दी जिसका नामांतरण (संख्या–444) दिनांक 27.10.18 को हकरु के पक्ष में दाखिल खारिज हुआ। उक्त वादग्रस्त आराजियात का मौके पर किस्म व उपजाउपन के आधार पर विभाजन नहीं होने से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण दिनांक 24.06.21 को रात्रि 12.00 बजे हमारी भूमि पर जबरन प्रवेश कर मक्का की बुवाई करने लगे मना करने पर जान से मारने की एलानिया धमकिया दी और बुवाई कर दी।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त आराजियात पर अप्राथी संख्या 1 लगायात 6 कृषि कार्य में रुकावट, अड़चन, विवाद अतंरण न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा करवायी जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से अविधवक्ता श्री राजीव जोशी, श्री नानालाल चरपोटा की और से वकालतनामा 25/08/21 को पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया।

दिनांक 25/08/21 से 27.06.22 तक पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया और 27.06.22 को अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गयी। बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को ही बहस में शुमार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आधोपात ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया तथा गुणावगुण पर भी गहन चिंतन किया।

जाहिर हुआ कि वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 89 नयी 55 पुरानी कुल खसरान् 9 कुल रकबा 10–08 बिस्वा में अंकित सहखातेदार दितु वेबा मंगला को पक्षकार नहीं बताया गया है जबकि सभी सहखातेदार को पक्षकार बनाया साथ ही वादग्रस्त आवश्यक आराजियात् संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अविभाजित भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार के अधिकार होता है।

उक्त सिद्धांत के आलोक में प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना लाजिमी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर कुलवाद के साथ नत्थी है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:37:59 IST
Reason: SelfAttested